



Neutral Citation No. - 2026:AHC:278

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या -
10241/2025**

मोनिका

..... आवेदक (गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य एवं अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : राघवेन्द्र प्रकाश, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : बबलू पन्त, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ० गौतम चौधरी

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राघवेन्द्र प्रकाश की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव कक्कड़, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा श्री बबलू पंत, आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 472 वर्ष 2023, धारा 316, 420, 504, 120-बी भा.दं.सं. एवं धारा 15(2), 15(3) मेडिकल काउंसिल अधिनियम, 1956, थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर में अग्रिम जमानत की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है, इस प्रार्थना के साथ कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।
3. प्रारम्भ में ही, प्रथम सूचना दाता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक के विरुद्ध पूर्व में धारा 82 एवं 83 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गैर-जमानती वारंट तथा उद्घोषणा



जारी की जा चुकी है, अतः वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार करने का कोई अवसर नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक सह-अभियुक्त के अस्पताल में दाई नर्स है, जिसका कथित घटना से कोई संबंध नहीं है। परिवाद प्रस्तुत किए जाने के पश्चात, आवेदक को संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। जब आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, तब उसने इस न्यायालय का रुख करते हुए आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 9657 वर्ष 2024 प्रस्तुत किया, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 17.10.2024 के आदेश द्वारा अगली तिथि तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था, तथापि इस अग्रिम जमानत आवेदन को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.2025 के आदेश से निरस्त कर दिया गया। अब आवेदक ने आरोपपत्र प्रस्तुत हो जाने के पश्चात यह द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रथम सूचना दाता द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत प्रस्तुत पूर्व की चार आवेदनों में आवेदक के विरुद्ध कोई उल्लेख नहीं है। स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट डेढ़ वर्ष से अधिक विलंब से दर्ज की गई है। मुख्य आरोप सह-अभियुक्त के विरुद्ध है और आवेदक को प्रकरण में केवल इस कारण से सम्मिलित किया गया है कि वह कथित घटना की तिथि पर सह-अभियुक्त के पर्यवेक्षण में उक्त अस्पताल में नर्स के रूप में सेवा दे रही थी।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि जहाँ तक प्रथम सूचना दाता की ओर से यह आपत्ति उठाई गई है कि आवेदक के विरुद्ध पूर्व में धारा 82/83 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गैर-जमानती वारंट तथा उद्घोषणा जारी की जा चुकी है, इस संबंध में विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि आरोपपत्र दिनांक 09.11.2024 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 19.05.2025 को संज्ञान लिया गया तथा दिनांक 10.10.2025 को उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया गया, किन्तु उस समय आवेदक गर्भवती थी तथा उसने दिनांक 06.10.2025 को एक पुत्र को जन्म भी दिया। अतः जब उक्त प्रक्रियाएँ जारी की गईं, उस समय वह गर्भवती थी। संज्ञान के पश्चात आवेदक ने प्रत्येक तिथि पर अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट हेतु अनेक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए, क्योंकि वह गर्भवती थी और विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ थी, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने ऐसे प्रार्थना पत्रों पर विचार



किए बिना ही आवेदक के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आशा दूबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 4564 वर्ष 2024, निर्णय दिनांक 12.11.2024) में प्रतिपादित विधि के भी विपरीत है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने उक्त निर्णय के अनुच्छेद-6 से 9 पर निर्भर किया, जो इस प्रकार हैं—

"6. अपीलकर्ता और मृतक के बीच संबंध विवादित नहीं है। निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता के पुत्र को गिरफ्तार किया जा चुका है और वह अभी भी अभिरक्षा में है। यह कहना गलत है कि अंतरिम संरक्षण दिए जाने के पश्चात अपीलकर्ता जांच में सहयोग नहीं कर रही थी और वस्तुतः अपीलकर्ता द्वारा जांच अधिकारी को संप्रेषण भेजे जाने के बावजूद, जांच अधिकारी ने उसे जांच में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया।

7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, हम इस मत के हैं कि अपीलकर्ता की अभिरक्षात्मक पूछताछ आवश्यक नहीं है।

8. अग्रिम जमानत के विचार के संबंध में, धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा होने की स्थिति में भी यह नहीं है कि प्रत्येक प्रकरण में अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

9. जब अपीलकर्ता की स्वतंत्रता का प्रश्न आता है, तब इस न्यायालय को प्रकरण की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा उस पृष्ठभूमि को देखना होगा जिसके आधार पर ऐसी उद्घोषणा जारी की गई। इतना कहना पर्याप्त है कि यह अग्रिम जमानत प्रदान करने का उपयुक्त प्रकरण है, इस शर्त के साथ कि अपीलकर्ता आगे की जांच में सहयोग करेगी। तथापि, प्रतिवादियों को यह स्वतंत्रता भी दी जाती है कि यदि विचारण न्यायालय द्वारा आरोपित शर्तों का उल्लंघन होता है अथवा गवाहों के प्रति कोई संभावित खतरा उत्पन्न होता है, तो वे जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।"

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि इस तथ्य को देखते हुए कि जब आवेदक के विरुद्ध कुछ प्रक्रियाएँ जारी की गई थीं, उस समय वह गर्भवती थी तथा वह संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ थी, यद्यपि उसने अपने अधिवक्ता के



माध्यम से अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए थे, किन्तु उन्हें विचारित नहीं किया गया। अतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा होने की स्थिति में भी यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्रकरण में अग्रिम जमानत पर विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध हो। अंत में यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का आश्वासन देती है तथा जब भी न्यायालय द्वारा आवश्यक होगा, उपस्थित होगी। यह कथन किया गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी तथा विचारण में सहयोग करेगी और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगी।

7. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा प्रथम सूचना दाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।

8. यह उल्लेखनीय है कि **सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत पर विचार करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से फरार होने की संभावना तथा उपलब्ध समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा अभियुक्त की भूमिका का भी समुचित परीक्षण किया जाना आवश्यक है। 9. वर्तमान प्रकरण में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत पर विचार करते हुए, पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और आशा दुबे (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए कि ऐसा नहीं है कि सभी प्रकरण में विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा अग्रिम जमानत देने के लिए आवेदन जैसा कि वर्तमान प्रकरण में यहां है, उस समय जब आवेदक के खिलाफ कुछ प्रक्रियाएं जारी की गई थीं, वह पारिवारिक तरीके से थी और संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश होने में असमर्थ थी, इस न्यायालय ने इसे अग्रिम जमानत देने के लिए एक उपयुक्त प्रकरण पाया।

10. तदनुसार, वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकृत** किया जाता है।



11. आवेदक- **मोनिका** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उपरोक्त प्रकरण में संलिप्त, अपराध को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो जमानतदारों के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर मुकदमे के समापन तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा: -

(i) आवेदक जब भी आवश्यक हो, अदालती कार्यवाही में भाग लेगा और किसी भी अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे किसी पुलिस अधिकारी को न्यायालय में ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

12. किसी भी शर्त के उल्लंघन में, संबंधित न्यायालय आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति डॉ० गौतम चौधरी)

5 जनवरी, 2026

मुस्तकीम